कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / चि0प्र0पू0 / 3093 / 2023 लखनऊःदिनांकःअगस्त, 28 ,2023

::–परिपत्र::–

अनु सचिव राज्य कर अनुभाग–4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या–59 / 11–4–2022–30(7) / 2022 दिनांक 02.03.2022 के पैरा–2 मे चिकित्सा प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर सूचना कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं:–

" श्री राजकुमार यादव, जमादार, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ (मुख्यालय) द्वारा स्वयं का सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, गोमतीनगर लखनऊ (निजी चिकित्सालय) में दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 28.09.2021 तक बिना भर्ती होकर कराये गये चिकित्सीय उपचार से संबंधित चिकित्सा प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर सूचना कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में स्पष्टीकरण प्राप्त कर गुण–दोष के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण एवं इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों को स्वयं स्तर से निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें"

अतः शासन के उक्त पत्र संख्या–59 / 11–4–2022–30(7) / 2022 दिनांक 02.03.2022 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–2275 / 5–6–11–1082 / 87 दिनांक 20 सितम्बर–2011 एंव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–474 / पॉच–6–14–1082 / 87 टीसी दिनांक 04 मार्च 2014 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर सूचना कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश प्रार्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

ह0 / 28.08.2023

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश ।
2. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 के मामलों मे संबंधित सदस्य से आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर निर्णय लेने हेतु मा0अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।
3. प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय।
4. वरिष्ठ सहायक स्थापना–1 / स्थापना–2 / पेंशन, मुख्यालय
5. बेब अधिकारी मुख्यालय।
6. वरिष्ठ सहायक विवरण को गार्डफाईल हेतु।

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।